

बेलागवी सीमा वविाद

प्रलिमिंस के लयि:

एस.के. धर समति, जे.वी.पी. समति, महाजन समति, राज्य पुनरगतन अधनियिम ।

मेन्स के लयि:

भारत में राज्यों का पुनरगतन और संबधति वविाद ।

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य बेलागवी को लेकर दशकों पुराना वविाद तथा महाराष्ट्र जसि बेलगाम ज़िला कहता है फरि से सुखियों में बना हुआ है ।

- बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हसिसा है लेकनि महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा कयिा जाता है ।



प्रमुख बदि

- **बेलागवी सीमा वविाद के बारे में:**
 - वर्ष 1957 में राज्य पुनरगतन अधनियिम, 1956 के कार्यानवयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग की ।
 - महाराष्ट्र ने अधनियिम की धारा 21 (2) (b) को लागू कयिा और कर्नाटक में मराठी भाषी कषेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपततव्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा ।
 - महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के कषेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कयिा गया जसिमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और नपिनी की तीन शहरी बस्तियाँ । स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसीडेंसी का हसिसा थे ।
 - ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूरवी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा ज़िलों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं ।
 - बाद में जब दोनों राज्यों द्वारा चार सदस्यीय समति का गठन कयिा गया, तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से लगभग 3.25 लाख की आबादी और 1,160 वर्ग मील के कुल कषेत्रफल के साथ कन्नड़ भाषी 260 गाँवों को स्थानांतरति करने की इच्छा व्यक्त की । ।

- यह 814 गाँवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग को स्वीकार करने के बदले में था, जसि कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया।

■ महाराष्ट्र के दावे का आधार:

- अपनी सीमा के पुनः समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था। बेलागवी और आसपास के क्शेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषायी एकरूपता पर आधारित था, अतः इसने कारवार और सुपा पर अपना दावा परसुतुत कयिा क्योँकयिा यहाँ कोंकणी को मराठी की उपबोली के रूप में बोला जाता है।
- यह तरक इस सिदिधांत पर आधारित था कि गाँव गणना की इकाई हैं और प्रत्येक गाँव में भाषायी जनसंख्या की गणना की जाती है। महाराष्ट्र ऐतहिसकि तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि इन मराठी भाषी क्शेत्रों में राजस्व रकिॉर्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है।

■ कर्नाटक की स्थिति:

- कर्नाटक ने तरक दिया है कि राज्य पुनर्रगठन अधनियिम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतमि है।
- राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तरक है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फरि से खोल देगा जनि पर अधनियिम के तहत वचिार नहीं कयिा गया है, अतः ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहयिे।

■ समस्या के समाधान के लयिे उटाए गए कदम:

- वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समति गठित करने पर सहमत हुए। नकिटता के मुद्दे को छोड़कर समति एक सर्वसम्मत नरिणय पर नहीं पहुँच सकी।
- 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लयिे कई बार मुलाकात की, लेकनि कोई लाभ नहीं हुआ।

■ केंद्र सरकार की प्रतकिरयिा:

- केंद्र सरकार ने स्थतिका आकलन करने के लयिे वर्ष 1966 में **महाजन समति** का गठन कयिा। दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रतनिधिसमति का हसिसा थे।
- 1967 में समति ने सफिरशि की कि कर्नाटक के कारवार, हलयिाल और सुपरणा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दयिे जाएँ लेकनि बेलागवी को दक्षिणी राज्य के साथ छोड़ दिया।

■ सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:

- 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहयिे और भाषायी मानदंड पर वचिार नहीं कयिा जाना चाहयिे क्योँकयिा इससे अधिकि व्यावहारकि समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
- इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है।

■ वभिनिन राज्यों के बीच अन्य सीमा वविाद:

- असम और मजोरम के बीच सीमा वविाद
- ओडिशिा सीमा वविाद

भारत में राज्यों का पुनर्रगठन:

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 असंबद्ध रयिसतें शामिल थीं।
- वर्ष 1950 में संवधिान में भारतीय संघ के राज्यों का चार गुना वर्गीकरण था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्य।
 - **भाग A** राज्यों में बरिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवरनर प्रांत शामिल थे।
 - **भाग B** राज्यों में वधियकिाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रयिसतें शामिल थीं।
 - **भाग C** राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत बरिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रयिसतें शामिल थीं।
 - **भाग D** राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।
- उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतकि वभिजन के बजाय राजनीतिक और ऐतहिसकि वचिरों के आधार पर कयिा जाता था, लेकनि यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।
- बहुभाषी प्रकृति और वभिनिन राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्रगठित करने की आवश्यकता थी।
- इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्रगठन की आवश्यकता पर गौर करने के लयिे सरकार द्वारा **1948 में एस.के. धर समति** का गठन कयिा गया था।
 - आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतहिसकि और भौगोलकि आधार को शामिल करते हुए **प्रशासनकि सुवधि के आधार पर राज्यों के पुनर्रगठन** को प्राथमकिता दी गई।
 - इससे बहुत आकरोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समति की नयुक्ति की गई।
- **दसिंबर 1948** में इस मुद्दे का अधयन करने के लयिे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की **जेवीपी समति** का गठन कयिा गया था।
 - समति ने अप्रैल 1949 में प्रसुतुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्रगठन के वचिार को खारजि करते हुए कहा कि जिनता की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सरि से देखा जा सकता है।
- हालाँकि **अक्टूबर 1953** में वरिोध के कारण भारत सरकार ने तेलुगू भाषायी क्शेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य बनाया जसि **आंध्र राज्य के रूप में** जाना जाता है।
- **22 दसिंबर, 1953** को जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्रगठन पर वचिार करने के लयिे फज़ल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कयिा।
 - आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रसुतुत की तथा सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासति क्शेत्रों में वभिजति कयिा जाना चाहयिे।
- सरकार ने सफिरशिों से पूरी तरह सहमत न होते हुए नवंबर 1956 में पारति राज्य पुनर्रगठन अधनियिम के तहत **देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासति प्रदेशों में वभिजति** कर दिया।
- वर्ष 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्रगठन के बाद भी लोकप्रयि आंदोलनों और राजनीतिक परस्थितियों के दबाव के कारण भारत के राजनीतिक

मानचित्र में नरितर परविरतन होते रहे ।

- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवधान के **अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा** प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 जारी किया था ।
 - इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में वभाजति कर दिया गया ।
- हाल ही में **दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का वलिय) अधिनियम, 2019** द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- **दमन और दीव (D&D) तथा दादरा और नागर हवेली (DNH)** का वलिय कर दिया गया है ।
- वर्तमान में भारत में **28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश** हैं ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/belagavi-border-dispute>

